उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या- 163 /2016/2282/चार-2016-17(वि0)/07

लखनऊ: दिनांक : 26 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना संख्या-163 /2016/2282/चार-2016-17(वि)/07 , दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली , 2016 (अंग्रेजी रूपांतर सहित) की संलग्न प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

4- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

5- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रमुख सचिव, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन।

7- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

8- संयुक्त सचिव (विधि), लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 , इलाहाबाद के पत्र संख्या-64(1)/01/रूल्स/एस-3/1998-99, दिनांक 21 दिसम्बर,2015 के क्रम में नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी की 10-10 प्रतियॉ आयोग के अवलोकनार्थ।

9- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, बी-44, महानगर विस्तार, लखनऊ।

10-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- वित्त नियंत्रक , संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

12- गृह गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 , उ0प्र0 शासन।

14- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री , उ0प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करे तथा उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराये।

15- गार्ड फाइल।

(डा0 हरिओम)

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 163 /2016 / 2282/ IV-2016-17 (Vividh)/07, dated 26 October, 2016

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
CULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Miscellaneous
No. 163 /2016 /2282/ IV-2016-17(Vividh)/07

Dated Lucknow 26 October, 2016

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State Archives Service Rules, 1996 :

THE UTTAR PRADESH STATE ARCHIVES SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Archives Service (First Amendment) Rules, 2016. 2. (2) They shall come into force at once
Substitution of rule 5	2. In the Uttar Pradesh State Archives Service Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, for existing rules 5 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN – 1 Existing rule		**COLUMN -2 Rule as hereby substituted**
Source of recruitment	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources : (1) **Director** : By promotion on the basis of merit from amongst substantively appointed Deputy Directors who have completed five years service as such, on the first day of the year of recruitment : Provided that if suitable persons are not available for promotion, the post may be filled on contract from amongst persons who possess the qualification prescribed for the post till availability of a suitable person for promotion.	**Source of recruitment** 5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources : (1) **Director**-By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Deputy Directors who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment.
	(2) **Deputy Director** By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed Regional Archives	(2) **Deputy Director –** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Regional Archives Officers,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

	Officers, Assistant Director-Cum-Administrative Officers, Assistant Directors (Conservation) and Manuscripts Officers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	Assistant Director-Cum-Administrative Officers, Assistant Directors (Conservation) and Manuscripts Officers who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
	(3) **Regional Archives Officer** (i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed Technical Assistants (History), Technical Assistants (Persian) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment : Provided that if suitable persons are not available for promotion, the post may be filled by direct recruitment through the Commission.	(3) **Regional Archives Officer-** (i) Fifty percent by direct recruitment through the Commission. (ii) Fifty percent by promotion through the Commission from amongst substantively appointed Technical Assistants (History) and Technical Assistants (Persian) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment : Provided that if suitable persons are not available for promotion, the post may be filled by direct recruitment through the Commission.
	(4) **Manuscripts Officer** By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed Technical Assistant (Sanskrit), Technical Assistants (Persian) and Publication Assistants who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(4) **Manuscripts Officer-** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Technical Assistants (Sanskrit), Technical Assistants (Persian) and Publication Assistants who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
	(5) **Assistant Director-Cum-**Administrative Officer By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed Technical Assistant (History) Technical Assistants (Persian) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.	(5) **Assistant Director-Cum-Administrative Officer-** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Technical Assistants (History) and Technical Assistants (Persian) who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
	(6) **Assistant Director (Conservation)** By Promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from amongst substantively appointed Technical Assistant (Preservation) who have completed five years service as such, on the first day of the year of recruitment.	(6) **Assistant Director (Conservation)-** By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Technical Assistants (Preservation) and Microphotographists who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment.
Substitution rule 8	3. In the said rules, for existing rule 8 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-	
Academic Qualification	**COLUMN -1** **Existing rule** 8. A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must possess the following qualifications :	**COLUMN -2** **Rule as hereby substituted** **Academic qualification** 8. A candidate for direct recruitment to the post of Regional Archives officer in the Service must possess

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	Post	Qualification	the following qualifications :
	(1) **Director:**	(a) A Master's degree in Medieval Indian History or Modern Indian History with at least Fifty five percent marks, from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent there to. (b) One year diploma in archival studies. (c) At least ten years working experience as group "B" gazetted officer in a State or Central Government Archives. **PREFERENTIAL :** (a) A Doctorate degree in Medieval or Modern Indian History. (b) A good knowledge of Sanskrit or Persian or German or French Language. (c) A diploma in preservation or publication of records viz. documents, manuscripts , etc.	(a) A Post- graduate degree in Medieval Indian History or Modern Indian History with at least fifty percent marks from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent thereto. (b) One year Diploma in Archival Studies from National Archive. (c) Five years experience in historical research in a State Archive. (d) Five years working experience as Technical Assistant (Class III) in a State or Central Government Archives. (e) A good knowledge of Hindi shall be a preferential qualification.
	(2) **Regional Archives Officer**	(a) A Master's degree with Second Division in Medieval Indian History or Modern Indian History with at least fifty percent marks, from a University established by law in India or a degree recognised by the Government as equivalent there to. (b) One year diploma in archival studies from National Archive. (c) Five year experience in historical research in a State Archive. (d) Five years working experience as Technical Assistant (Class III) in a State or Central Government Archives.	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	(e) A good knowledge of Hindi shall be a preferential qualification.	
Amendment of rule 15	4. In the said rules, in rule 15, for existing sub- rule (3) set out in column I below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-	
	COLUMN -1 **Existing Sub-rule**	**COLUMN -2** **Sub-rule as hereby substituted**
	(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The number of the names in the list shall be larger (but not larger by more than twenty five percent) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.	(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the candidate senior in age shall be placed higher in the list. The Commission shall forward the list to the appointing authority.
Insertion of new rule	5. In the said rules, after rule 15, the following new rule shall be inserted, namely :-	
	"Procedure for recruitment by promotion through the Commission for the post of Regional Archives Officer.	15-A. Recruitment by promotion to the post of Regional Archives Officer shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time."
Amendment of rule 16	6. In the said rules, in rule 16- (a) for the existing marginal heading setout in column-1 below, the marginal heading as setout in column-2 shall be substituted, namely :-	
	COLUMN -1 **Existing marginal heading**	**COLUMN -2** **Marginal heading as hereby substituted**
	" Procedure for recruitment by promotion"	"Procedure for recruitment by promotion through the Selection Committee for the posts other than the post of Regional Archives Officer"
	(b) for existing sub-rule (1) setout in column -1 below, the sub-rule as setout in column-2 shall be substituted , namely:-	
	COLUMN -1 **Existing sub-rule**	**COLUMN -2** **Sub-rule as hereby substituted**
	(1) Recruitment by promotion to the various	(1) Recruitment by promotion to the posts

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	categories of posts in the service shall be made on the basis of criterion specified in the Uttar Pradesh Government Servants criterian for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time through the Selection Committee constituted in accordance with the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee (For posts outside the Purview of Service Commission) Rules, 1992, as amended from time to time.	other than the post of Regional Archives Officer shall be made on the basis of the criteria laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental promotion Committee for posts outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time. NOTE - Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994, as amended from time to time.
Amendment of rule 18	7. In the said rules, in rule 18, for existing sub-rule (1) set out in column-1 below, the sub rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :-	
	COLUMN -1 **Existing sub-rule**	**COLUMN -2** **Sub-rule as hereby substituted**
	(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rule 15, 16 or 17, as the case may be.	(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rules 15, 15-A, 16 or 17, as the case may be
Substitution of rule 19	8. In the said rules, for existing rule 19 setout in Column 1 below, the rule as setout in column 2 shall be substituted, namely:-	
	COLUMN -1 **Existing rule**	**COLUMN -2** **Rule as hereby substituted**
	Probation: 19. (1) A person substantively appointed to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years. (2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted: Provided that, same in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years. (3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of	Probation 19. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013. (2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be

http://shasanadesh.up.nic.in

	probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with. (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub- rule (3) shall not be entitled to any compensation. (5) The appointing authority may allow continues service rendered in a post included in the cadre or any other equivalent or higher port to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.	dispensed with. (3) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub- rule-(2) shall not be entitled to any compensation. (4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Amendment of rule 22	9. In the said rules, in rule 22, for existing sub-rule (2) set out in column-1 below, the sub rule as set out in column-2 shall be substituted, namely :	

COLUMN -1 **Existing sub-rule**		**COLUMN -2** **Sub-rule as hereby substituted**			
(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rule are as given below :		(2) The scales of pay at the time of the commencement of the Uttar Pradesh State Archives Service (First Amendment) Rules, 2016 are as given below :			
Name of post	Scale of pay	Scale of pay			
		Name of post	Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Correspo - nding Grade Pay (Rs.)
(1) Director	Rs. 3000-100-3500-125-4750	(1) Director	Pay Band-3	15600-39100	7600
(2) Deputy Director	Rs. 2350-75-2800-E.B.-100-4300	(2) Deputy Director	Pay Band-3	15600-39100	6600
(3) Assistant Director-Cum-Administrative Officer	Rs. 2000-60-2300-E.B. 75-3200-100-3500	(3) Assistant Director-Cum Administrative Officer	Pay Band -2	9300-34800	4800
(4) Assistant Director (Conservation)	Rs. 2000-60-2300-E.B.-75-3200-100-3500	(4) Assistant Director (Conservation)	Pay Band-2	9300-34800	4800
(5) Regional Archives Officer	Rs. 2000-60-2300-E.B.-75-3200-100-3500	(5) Regional Archives Officer	Pay Band-2	9300-34800	4800
(6) Manuscripts Officer	Rs. 2000-60-2300-E.B – 75-3200-100-3500	(6) Manuscripts Officer	Pay Band -2	9300-34800	4800

By order,

(Dr. Hari Om)

Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन

संस्कृति अनुभाग

संख्या- 163 /2016/2282/चार-2016-17(वि0)/07

लखनऊ: दिनांक : 26 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा नियमावली, 1996 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016

संक्षिप्त का नाम और प्रारम्भ	1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम-5 का प्रतिस्थापन	2. उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा नियमावली , 1996 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-
स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:- (1) **निदेशक**- मौलिक रूप से नियुक्त उप निदेशकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, गुणागुण के आधार पर पदोन्नति द्वारा परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति की उपलब्धता तक पद के लिये विहित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों में से संविदा पर पद भरा जा सकता है। **(2) उप निदेशक**- मौलिक रूप से नियुक्त क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारियों, सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारियों , सहायक निदेशक (संरक्षण) और पाण्डुलिपि अधिकारियों में से,	भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी: (1) **निदेशक**- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। **(2) उप निदेशक**- मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारियों, सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारियों, सहायक निदेशकों (संरक्षण) और पाण्डुलिपि अधिकारियों में से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।	जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।
(3) क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी - (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (इतिहास) तकनीकी सहायक (फारसी) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा: परन्तु यदि पदोन्नति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो पद आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।	**(3) क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी** - (एक) पचास प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायकों (इतिहास) और तकनीकी सहायकों (फारसी) में से , जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा: परन्तु यह कि यदि उपयुक्त व्यक्ति पदोन्नति हेतु उपलब्ध नहीं है, तो पद को आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जा सकता है।
(4) पाण्डुलिपि अधिकारी- मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (संस्कृत), तकनीकी सहायक (फारसी) और प्रकाशन सहायक सहायक में से जिन्होने भर्ती के वर्ष में प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	**(4) पाण्डुलिपि अधिकारी-** मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायकों (संस्कृत), तकनीकी सहायकों, (फारसी) और प्रशासन अधिकारियों में से , जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(5) सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी - मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (इतिहास) तकनीकी सहायक (फारसी) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	**(5) सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी** - मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे तकनीकी सहायकों (इतिहास) और तकनीकी सहायको (फारसी) में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(6) सहायक निदेशक (संरक्षण) - मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायक (परिरक्षण) में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।	**(6) सहायक निदेशक (संरक्षण)** - मौलिक रूप से नियुक्त तकनीकी सहायकों (परिरक्षण) और माइक्रोफोटोग्राफिस्टो में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से , पदोन्नति द्वारा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

नियम 8 का प्रतिस्थापन	3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-
स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी:- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मध्य कालीन इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम पचास प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार से अभिलेखागार अध्ययन में एक वर्ष का डिप्लोमा । (ग) किसी राज्य अभिलेखागार से ऐतिहासिक शोध में पॉच वर्ष का अनुभव । (घ) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के अभिलेखागार से तकनीकी सहायक (तृतीय वर्ग) के रूप में पॉच वर्ष का कार्यकारी अनुभव। (ड) हिन्दी का अच्छा ज्ञान अधिमानी अर्हता होगी।	शैक्षिक योग्यता 8, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित योग्यता अवश्य होनी चाहिए: (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मध्यकालीन भारतीय इतिहास या आधुनिक भारतीय इतिहास में कम से कम पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। (ख) राष्ट्रीय अभिलेखागार से अभिलेखागार अध्ययन में एक वर्षीय डिप्लोमा । (ग) किसी राज्य अभिलेखागार में ऐतिहासिक शोध में पॉच वर्ष का अनुभव। (घ) किसी राज्य या केन्द्रीय सरकारी अभिलेखागार में तकनीकी सहायक (तृतीय वर्ग) के रूप में पॉच वर्ष का कार्यकारी अनुभव। (ड) हिन्दी का अच्छा ज्ञान एक अधिमानी अर्हता होगी।
नियम 15 का संशोधन	4. उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-
स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
विद्यमान उप- नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप- नियम
(3) आयोग अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची के	(3) आयोग, अभ्यर्थियों की उनकी प्रवीणता क्रम में, जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर रखा जायेगा। आयोग सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<table>
<tr><td>नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग, सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>नये नियम का
बढाया जाना</td><td colspan="2">5. उक्त नियमावली में, नियम 15 के पश्चात , निम्नलिखित नया नियम बढा दिया जायेगा, अर्थात:-</td></tr>
<tr><td></td><td>क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया</td><td>15-क- क्षेीय अभिलेख अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>नियम 16 का संशोधन</td><td colspan="2">6. उक्त नियमावली में, नियम 16 में-
(क) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान पार्श्व शीर्षक के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया पार्श्व शीर्षक रख दिया जायेगा, अर्थात:-</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>स्तम्भ 1
विद्यमान पार्श्व शीर्षक</td><td>स्तम्भ 2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित पार्श्व शीर्षक</td></tr>
<tr><td>पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया</td><td>" चयन समिति के माध्यम से क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी से भिन्न पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया"</td></tr>
<tr><td colspan="2">(ख) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ 1</td><td>स्तम्भ 2</td></tr>
<tr><td>विद्यमान उप- नियम</td><td>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप- नियम</td></tr>
<tr><td>(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की पदोन्नति द्वारा भर्ती के</td><td>(1) क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी के पद से भिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 में निर्धारित मानदण्ड के आधार पर समय-समय</td></tr>
</table>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्ड के आधार पर समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिये) नियमावली, 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी।	पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी। **टिप्पणी**- चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गो को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों नाम-निर्देशन समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 7 के अधीन दिये गये आदेश अनुसार किया जायेगा।
नियम 18 का संशोधन	7. उक्त नियमावली में, नियम 18 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	
	स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(1) उप नियम (2) के उपबंधो के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 15,16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्तियॉं करेगा।	(1) उप नियम (2) के उपबंधो के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति नियम 15,15-क, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों, नियुक्तियां करेगा।
नियम 19 का प्रतिस्थापन	9. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 19 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-	
स्तम्भ 1 विद्यमान नियम	स्तम्भ 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।	परिवीक्षा 19- (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढाई जाय: परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढायी जायेगी।	(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।	(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति , जिसे उप नियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।	(4) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।	

नियम 22 का संशोधन	9. उक्त नियमावली में, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-
स्तम्भ 1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ 2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है	(2) उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये है:

			पद का नाम	वेतनमान		
				वेतन बैण्ड का नाम	तत्सदृश्य वेतन बैण्ड (रू0)	तत्सदृश्य ग्रेड वेतन (रू0)
1. निदेशक	3000-100-3500-125-4750 रूपये		1. निदेशक	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	7600/-
2.उप निदेशक	2350-75-2800-द.रो.-100-4300 रूपये		2.उप निदेशक	वेतन बैण्ड-3	15600-39100	6600/-
3.सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रूपये		3.सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4800/-
4. सहायक निदेशक (संरक्षण)	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रूपये		4. सहायक निदेशक (संरक्षण)	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4800/-
5.क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रूपये		5.क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4800/-
6.पाण्डुलिपि अधिकारी	2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रूपये		6.पाण्डुलिपि अधिकारी	वेतन बैण्ड-2	9300-34800	4800/-

आज्ञा से ,

(डा0 हरिओम)

सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in